

विधि सं.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

वाद संख्या 132/18	धारा अंतर्गत 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200	निर्णय दिनांक 23/1/2021
समक्ष - श्री विष्णु शर्मा (CRAS)		
उपरिस्थिति - अभिभाषक वादी श्री रामचंद्र शर्मा ए.एस.		अभिभाषक प्रतिवादी श्री रामचंद्र शर्मा ए.एस.

वाद शीर्षक

1. जमुनालाल पुत्र झुलीलाल जोर इंदौर निवासी कांछगपुरा तहसील बारां

2. रूपेश कुमार पुत्र झुलीलाल जोर इंदौर निवासी कांछगपुरा तहसील बारां

3. विष्णु कुमार पुत्र रामचंद्र जोर इंदौर निवासी कांछगपुरा तहसील बारां

4. शोभा देवी पालन तहसील कांछगपुरा तहसील बारां

5. रामचंद्र शर्मा ए.एस. कांछगपुरा तहसील बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुकूल डिक्री निर्गत की जाती है कि

वाद वादी खारिज किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

साथ ही नियमानुसार रु० का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23/1/2021 को निर्गत किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		